

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-57 / 2011
संस्थित दिनांक-23.02.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. मोहन पुत्र रामदयाल कुशवाह उम्र 37 साल
 2. रघुनाथ पुत्र रामदयाल कुशवाह उम्र 30 साल
 3. मोहर सिंह पुत्र रामदयाल कुशवाह उम्र 25 साल
 4. उधम पुत्र रामदयाल कुशवाह उम्र 24 साल
 5. भजन पुत्र रामदयाल कुशवाह उम्र 32 साल
- निवासीगण सिंहपुर चाल्दा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 15.02.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 430/34, 188 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.01.2011 को समय रात्री 12:00 बजे ग्राम सिंहपुर चाल्दा ने कुवरराज कमलसिंह के बोर पर जो कि कृषक प्रयोजन के लिये सिचाई में काम आता था, को फरियादी को रिष्टी कारित करने के आशय से उस पर लगी मोटर को तोड़कर बोर में डालकर पत्थरों से बंद कर सिन्चन संकर्म को क्षति कारित कर नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की एवं लोक सेवक द्वारा ब्रख्यापित आदेश की अवज्ञा की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामनिवास व कुवरराज व कमलसिंह को बोर है जिसमें मोटर लगी थी व चालू थी। दिनांक 30.01.2010 की रात को लगभग 12:00 बजे मोहन, रघुराज, भजन, मोहरसिंह, उधम फरियादी रामदयाल कुशवाह ने ग्राम सिंहपुर चाल्दा स्थित बोर व मोटर को तोड़ दिया तथा मोटर को तोड़कर बोर में डाली दी व उपर से पत्थर डाल दिया तथा पाईप लाईन भी फनर से काट दी व उसे लाईन को बोर में डाल दिया, इस घटना को मोहन सिंह ने देखी व चिल्लाया तो उक्त लोग भाग गये, घटना की जानकारी मोहन सिंह ने घर पर उसके परिवार व फरियादी रामनिवास को दी। फरियादी रामनिवास की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-59/11 अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 430, 188, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये

उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 30.01.2011 को समय रात्री 12 बजे ग्राम सिंहपुर चाल्दा ने कुवरराज कमलसिंह के बोर पर जो कि कृषक प्रयोजन के लिये सिंचाई में काम आता था, को फरियादी को रिष्टी कारित करने के सामान्य आशय से उस पर लगी मोटर को तोड़कर बोर में डालकर पत्थरों से बंद कर सिन्चन संकर्म को क्षति कारित कर नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लोक सेवक द्वारा ब्रख्यापित आदेश की अवज्ञा की ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05-सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 31.01.2011 को आरोपीगण ने पानी की बोर की मोटर एवं कैबल काटकर बोर के अंदर डाल दिया था और उपर से पत्थर से डालकर बोर बंद कर दिया था। फरियादी के अनुसार बोर उसका था, जिससे आरोपीगण के द्वारा कारित की गई उपरोक्त घटना से उसकी पूरी फसल सूख गई थी और उसे 40,000-50,000/- रुपये का नुकसान भी हो गया था।
- 06-फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने मुख्य परीक्षण में हालांकि अभियोजन घटना के विरुद्ध यह व्यक्त किया है कि घटना के समय वह खेत पर था, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय वह खेत पर ना होकर घर पर था तथा घटना की जानकारी उसे उसके पिता मोहन सिंह के द्वारा दी गई थी। अभियोजन के द्वारा उपरोक्त बिंदू पर रामनिवास (अ0सा0-01) को पक्षविरोधी घोषित किये जाने के बाद किये गये परीक्षण में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि बोर में मोटर और कैबल डालते हुये आरोपीगण को मोहन सिंह ने देखा था।
- 07-रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में भी यह स्पष्ट किया है कि घटना वाले दिन खेत पर मोहन सिंह के अलावा कोई नहीं था तथा मोहन सिंह ने ही आरोपीगण को पाईप तोड़ते हुये और तार काटते हुये देखा था और उक्त घटना मोहन

सिंह ने घर पर आकर दूसरे दिन उसे बताई थीं। अतः रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने कथनों में अभियुक्तगण के विरुद्ध यह कथन अवश्य दिये हैं कि आरोपीगण ने उसके खेत पर स्थित बोर को दिनांक 31.01.2011 को बोर की कैबल काट कर बोर की मशीन बोर में डाल दी थी और उस पर पत्थर डाल दिये थे परन्तु साथ ही साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त घटना की जानकारी उसे मोहन सिंह के बताये अनुसार है। अतः स्पष्ट है कि आरोपीगण के द्वारा बोर नष्ट किया गया इस घटना का रामनिवास (अ0सा0-01) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है तथा घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रामनिवास (अ0सा0-01) का पिता मोहन सिंह है।

08—अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में मोहन सिंह (अ0सा0-11) के भी कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसमें उसने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का समर्थन करते हुये व्यक्त किया है कि घटना करीबन 08 साल पहले ग्राम सिंहपुर चाल्दा कि रात्रि 12-01 बजे की है। इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण वहां आये और उन्होंने बोर का क्लिम्प पकड़ कर उठा लिया और नीचे पत्थर रखकर उसकी लाईन काट दी, जिससे बोर मिट जाने से एवं लाईन गिर जाने से उसकी फसल सूख गई थी तथा उसे करीबन 50000/- रुपये का नुकसान हो गया था।

09—यह उल्लेखनीय है कि फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) की ग्राम सिंहपुर चाल्दा में भूमि सर्वे क्रमांक 84 है तथा उक्त नष्ट किया गया बोर सर्वे क्रमांक 84 के पास ही स्थित था, इस संबंध में रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में स्पष्ट रूप से कथन देते हुये व्यक्त किया है कि घटना वाला खेत सर्वे क्रमांक-84 है, जो कि कुवरराज स्वयं फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) व कमल सिंह के नाम पर है तथा परीक्षण की कण्डिका-02 में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि क्षतिग्रस्त बोर उसके खेत के पास ही था, जो उसके भाई कमल सिंह, कुवरराज और उसका शामलाती बोर था। मोहन सिंह (अ0सा0-11) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में यह स्पष्ट किया है कि रामनिवास और कुंवरराज के खेत का सर्वे क्रमांक-84 है तथा उस खेत पर बोर उसके बच्चों ने ही लगवाया था।

10—अनुसंधानकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक एस. एस. गौर (अ0सा0-08) ने प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श-पी-03 फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) की निशानदेही पर बनाये जाने की पुष्टि की है तथा फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) के द्वारा घटना स्थल के संबंध में जो कथन न्यायालय में दिये गये हैं उससे यह प्रमाणित होता है कि मौके की स्थिति के अनुसार नक्शा मौका प्रदर्श-पी-03 बनाया गया था। नक्शा मौका प्रदर्श-पी-03 में फरियादी के खेत 84 नंबर के उत्तर दिशा में खेत के पास ही बोर को दर्शाया गया है तथा वहीं पश्चिम दिशा के ओर कमलाबाई के खेत से लगा हुआ, आरोपीगण का खेत दर्शाया गया है।

11—अतः फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) के न्यायालीन कथनों से एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी एस. एस. गौर (अ0सा0-08) के द्वारा तैयार किये गये नक्शा मौका

प्रदर्श-पी-03 से यह स्पष्ट होता है कि सर्वे क्रमांक-84 जिसे फरियादी रामनिवास (अ0सा0-01) अपना खेत बता रहा है उससे लगा हुआ ही उत्तर दिशा की ओर बोर था जिसे आरोपीगण के द्वारा नष्ट किया जाना रामनिवास (अ0सा0-01) व मोहन सिंह (अ0सा0-11) अपने कथनों में बताते हैं। साक्षी मुन्नालाल (अ0सा0-02) ने हालांकि अपने कथनों में अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि चार-पांच साल पहले ग्राम सिंहपुर चाल्दा में किसी ने रामदयाल, मोहन, कैलाश और हरनाम की मोटर काट दी थी और पाईप भी काट दिये थे, जिससे बोर में मोटर चली गई थी जो उसने मौके पर सुबह जाकर देखा था।

12-स्वयं रामनिवास (अ0सा0-01) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा स्वरूप दिया गया सुझाव की "स्वयं फरियादीगण ने बोर को तोड़कर आरोपीगण पर झूठा केस लगा दिया है" जिसका खण्डन हालांकि रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने कथनों में किया है तथा मोहन सिंह (अ0सा0-11) प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 08 में बचाव पक्ष के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि मोहन सिंह व उसके लडकों के विरुद्ध कमला बाई ने बोर तोड़ने का केस लगाया था, जिससे बचने के लिये यह झूठा केस लगाया है। उक्त सुझाव का भी मोहन सिंह ने अपने कथनों में स्पष्ट खण्डन किया है।

13-अतः रामनिवास (अ0सा0-01), मोहन सिंह (अ0सा0-11) व मुन्नालाल (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा स्वरूप दिये गये उपरोक्त सुझाव से यह स्पष्ट होता है कि फरियादी के खेत के सामने स्थित नक्शा मौका प्रदर्श-पी 03 में दर्शाया गया बोर घटना दिनांक को नष्ट हुआ, इस संबंध में विवाद की स्थिति नहीं है। मुख्य रूप से विवाद इस बात पर है कि वास्तव में उक्त बोर नष्ट किसके द्वारा किया गया।

14-रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह स्वीकार किया है कि जो बोर नष्ट हुआ था, उसकी बिजली का बिल आरोपी के नाम से आता था तथा उसकी लाईट घटना से पूर्व शामलाती थी। घटना से पूर्व आरोपी बोर से पानी लेते थे और उनका फरियादी के साथ शामलाती बोर था, इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा दिये सुझाव का रामनिवास (अ0सा0-01) ने हालांकि खण्डन किया है, परन्तु यदि बोर का बिजली का बिल आरोपीगण के नाम पर आता था और उक्त बिजली का बिल शामलाती भी था, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि बोर के पानी का उपयोग फरियादी तथा आरोपीगण दोनों ही घटना के पूर्व करते थे।

15-क्षतिग्रस्त बोर वास्तव में किसका था, इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा रामनिवास (अ0सा0-01) व मोहन सिंह (अ0सा0-11) का विस्तृत परीक्षण किया गया है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में बोर का स्वामित्व अथवा सर्वे क्रमांक 84 का स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जाना है और न ही रिष्टी के अपराध के दायित्वों के निर्धारण के लिये यह आवश्यक है कि क्षतिग्रस्त बोर का स्वामित्व पहले ज्ञात किया जाये।

16—यहां भा.द.वि. की धारा-425 का मय स्पष्टीकरण के उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जिसके अनुसार

जो कोई इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुये कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारत प्रभाव पड़ता है वह 'रिष्टी' करता है।

स्पष्टीकरण-01 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि " रिष्टी के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह अपर्याप्त है कि उसका यह आशय है कि या यह वह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को चाहे वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं सदोष हानि या नुकसान कारित करें"

स्पष्टीकरण-02 ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उसे कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों को हो, रिष्टी की जा सकेंगी"।

17—अतः उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि रिष्टी के अपराध गठन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि रिष्टी में प्रभावित सम्पत्ति का विधिक स्वामी कोई व्यक्ति हो, यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति अपना सदभावना युक्त दावा भी प्रस्तुत करता है या ऐसी सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति है, तो ऐसी सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति या संयुक्त सम्पत्ति धारक में कोई व्यक्ति उस सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाता है तो वह निश्चित रूप से रिष्टी का अपराध कारित करता है।

18—वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव से यह स्पष्ट होता है कि क्षतिग्रस्त बोर का उपयोग घटना से पूर्व अभियुक्तगण तथा फरियादी पक्ष अपने अपने खेतों में सिचाई कार्य के लिये करते थे और यही कारण था कि बोर फरियादी के खेत के बाहर स्थित होकर उसका बिल अभियुक्तगण के नाम पर आता था जो कि स्वयं रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने कथनों में स्वीकार किया है। अतः यदि वास्तव में उक्त बोर अभियुक्तगण के द्वारा सआशय या यह संभाव्य जानते हुये नष्ट किया है कि उससे फरियादी को सदोष हानि या नुकसान कारित होगा तो निश्चित रूप से उनके द्वारा रिष्टी का अपराध कारित किया गया, कहा जायेगा।

19—सर्वे क्रमांक 84 के बाहर स्थित बोर घटना दिनांक को नष्ट हुआ, इस संबंध में विवाद की स्थिति नहीं है, घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मोहन सिंह (अ0सा0-11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि घटना की रात्रि में वह सर्वे क्रमांक-84 जो कि उसके बच्चों का खेत है, पर था और उसने रात्रि 12-01 बजे आरोपीगण को बोर को नष्ट करते हुये देखा था। जिससे उसकी फसल सूख गई थी

और 50,000/- रुपये का नुकसान हुआ था। मोहन सिंह (अ0सा0-11) के द्वारा दी गई उपरोक्त साक्ष्य उसकी संपूर्ण परीक्षण में विरोधाभास रहित है तथा इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष कोई भी तात्त्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है। घटना स्थल पर घटना दिनांक की रात्रि को मोहन सिंह की उपस्थिति स्वयं रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित की है जो कि विरोधाभास रहित है।

20-बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मोहन सिंह (अ0सा0-11) के इन कथनों को चुनौती है कि उसने आरोपीगण को बोर काटते समय मौके पर जाकर रोका था और आरोपीगण ने उसे धमकी दी थी, जबकि पुलिस को दिये गये कथनों में मोहन सिंह (अ0सा0-11) के द्वारा यह लेख कराया है कि वह बस चिल्लाया था, जिसके बाद आरोपीगण भाग गये थे तथा उसने मौके पर पहुंचकर आरोपीगण को नहीं रोका था। निश्चित रूप से घटना दिनांक की रात्रि को मोहन सिंह ने आरोपीगण को बोर काटने से रोका था तथा आरोपीगण ने मोहन सिंह को धमकी भी दी थी।

21-मोहन सिंह (अ0सा0-11) 62 वर्षियें वृद्ध व्यक्ति है तथा घटना भी उसके कथन देने के दिनांक से लगभग 6 वर्ष पूर्व की है। मोहन सिंह ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जहां यह आम प्रवृत्ति होती है कि घटना को गंभीर बनाने के लिये कथनों को बढा-चढा कर प्रस्तुत किया जाये। किसी भी साक्षी से घटना के 6 वर्ष के बाद यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह 6 वर्ष पूर्व पुलिस को दिये गये कथनों को शब्दशः बता सकें। अतः ऐसे में मोहन सिंह (अ0सा0-11) के कथनों में उत्पन्न हुआ विरोधाभास उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की विश्वसनीयता को लेशमात्र भी प्रभावित नहीं करता है। मोहन सिंह (अ0सा0-11) के न्यायालीन कथन एवं पुलिस कथनों में उपरोक्त विरोधाभास तात्त्विक स्वरूप का नहीं है कि जिसके आधार पर मोहन सिंह (अ0सा0-11) की सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा जा सकें।

22-अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी किशोरी (अ0सा0-03) अनेक सिंह (अ0सा0-04) हरनाम (अ0सा0-05) व मोहन सिंह (अ0सा0-11) के भी कथन न्यायालय में कराये गये हैं परन्तु अभियोजन घटना के अनुसार यह साक्षी सर्वप्रथम तो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है। वहीं इनमें से किसी भी साक्षी ने अभियोजन घटना का कोई समर्थन करते हुये घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। इन साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने से भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

23-अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक की रात्रि को सर्वे क्रमांक-84 के बाहर स्थित बोर का घटना से पूर्व आरोपीगण तथा फरियादी पक्ष संयुक्त रूप से उपयोग कर सिचाई का कार्य करते थे, जिससे उक्त बोर के नष्ट होने से सिचाई का कार्य भी प्रभावित हुआ है उक्त बोर के संबंध में राजस्व न्यायालय में भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों के मध्य प्रकरण चले है, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है अतः निश्चित रूप से बोर के नष्ट होने से उससे सिंचित हो रही फसलों को नुकसान हुआ है।

- 24—मोहन सिंह (अ0सा0-11) के द्वारा न्यायालीन कथन इस संबंध में अखण्डित है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को बोर नष्ट किया था। रामनिवास (अ0सा0-01) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में स्वयं बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव को रामनिवास ने स्वीकार करते हुये, सहमति दी है कि एसडीएम न्यायालय के प्रकरण में बोर सर्वे क्रमांक-84 में पाया गया था। वहीं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि एस.डी.एम. न्यायालय में आरोपीगण के बोर से फरियादी के पानी लेने पर से रोक लगाई थी और इसी कारण से फरियादी ने आरोपीगण का बोर तोड़ दिया था, जिसका खण्डन रामनिवास (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में किया है।
- 25—यह उल्लेखनीय है कि यदि एस.डी.एम. न्यायालय ने बोर सर्वे क्रमांक 84 में पाया था, तो फरियादी के उक्त बोर से पानी लेने पर लगी रोक समझ से परे है। यदि आरोपीगण के पक्ष में एस.डी.एम. न्यायालय से ऐसा कोई आदेश पारित हुआ था, तो उक्त आदेश कि सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रमाणित करने का भार भी आरोपीगण पर था, घटना दिनांक को फरियादी पक्ष पर बोर से पानी लेने के संबंध में यदि कोई रोक लगी थी, तो यह आरोपीगण के द्वारा साबित किया जाना चाहिये था। जो कि साबित नहीं किया गया।
- 26—यदि आरोपीगण का बोर फरियादी पक्ष के द्वारा नष्ट किया गया तो स्वयं आरोपीगण ने इस संबंध में थाने पर यह एसडीएम न्यायालय में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। निश्चित रूप से पीडित पक्षकार ही सर्वप्रथम वैधानिक कार्यवाही करने के लिये अग्रसर होता है। फरियादी रामनिवास के द्वारा थाने पर की गई रिपोर्ट कि आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक की रात्रि में बोर नष्ट किया गया। विधिवत् अभिलेख पर आई मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित होता है तथा दोनों पक्षों के मध्य बोर के संबंध में विवाद यह दर्शित करता है कि आरोपीगण का बोर नष्ट करने के पीछे आशय फरियादी को सदोष हानि कारित करना था, जो कि रिष्टी के अपराध की श्रेणी में आता है।
- 27—अनुसंधानकर्ता अधिकारी एस. एस. गौर (अ0सा0-08) ने अपने कथनों में साक्षीगण के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श-पी 08 बनाने की पुष्टि की है कि जिसमें 130000/- रुपये का नुकसान होने का उल्लेख है, परन्तु इस संबंध में एस. एस. गौर (अ0सा0-08) ने पंचनामों की अन्तरवस्तु को प्रमाणित करते हुये कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। निश्चित रूप से बोर के स्वामित्व का विवाद दोनों पक्षों के मध्य है तथा नुकसानी पंचनामा के साक्षी बाबूलाल (अ0सा0-07) हज्जी (अ0सा0-06), रामकिशन (अ0सा0-09) व रामबाबू (अ0सा0-10) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, परन्तु मोहन सिंह व रामनिवास के कथनों से यह प्रमाणित है कि आरोपीगण के द्वारा बोर नष्ट किये जाने से उनकी फसलों को सआशय नुकसान कारित किया गया है। जिसके लिये अभियुक्तगण रिष्टी के अपराध के लिये उत्तरदायी है।

- 28—जहां तक भा.द.वि. की धारा 188 के अपराध का संबंध है तो इस संबंध में अभियोजन की यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि लोक अधिकारी के किस आदेश की अवज्ञा आरोपीगण के द्वारा की गई। धारा 188 भा.द.वि. के तहत अपराध का संज्ञान लोक सेवक के लिखित परिवाद पर ही लिया जा सकता है। जो कि वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। अतः ऐसे में उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 29—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 30.01.2011 को समय रात्री 12:00 बजे ग्राम सिंहपुर चाल्दा में कुवरराज, कमलसिंह का बोर जो कि कृषक प्रयोजन के लिये सिचाई में काम आता था, को नष्ट कर रिष्टी कारित करने के सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में बोर में लगी मोटर को तोड़कर बोर में डालकर पत्थरों से बंद कर सिन्चन संकर्म को क्षति कारित कर फरियादी को रिष्टी कारित की। अभियोजन वही साक्ष्य के अभाव में यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने लोक सेवक द्वारा ब्रख्यापित आदेश की अवज्ञा की।
- 30—फलतः अभियुक्त मोहन पुत्र रामदयाल कुशवाह, रघुनाथ पुत्र रामदयाल कुशवाह, मोहर सिंह पुत्र रामदयाल कुशवाह, उमध पुत्र रामदयाल कुशवाह, भजन पुत्र रामदयाल कुशवाह के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 430 /34 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भादवि की धारा 430/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। वही अभियुक्त मोहन पुत्र रामदयाल कुशवाह, रघुनाथ पुत्र रामदयाल कुशवाह, मोहर सिंह पुत्र रामदयाल कुशवाह, उमध पुत्र रामदयाल कुशवाह, भजन पुत्र रामदयाल कुशवाह भा0द0वि0 की धारा 188 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भादवि की धारा 188 तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 31—अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

32—दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्तगण के द्वारा किया गया कृत्य गम्भीर प्रकृति का है उनके द्वारा फरियादी पक्ष को आर्थिक क्षति कारित करने के साथ-साथ मौके पर हो रहे सिंचाई कार्य को भी बोर नष्ट कर प्रभावित किया है। जिसके लिये अभियुक्तगण सहानुभूति के पात्र नहीं है।

33—अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त मोहन पुत्र रामदयाल कुशवाह, रघुनाथ पुत्र रामदयाल कुशवाह, मोहर सिंह पुत्र रामदयाल कुशवाह, उमध पुत्र रामदयाल कुशवाह, भजन पुत्र रामदयाल कुशवाह को भा0दं0वि0 की धारा 430/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष (एक वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह (एक माह) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

34—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)